# बिहार विधान परिषद्

## 188वां सत्र

## तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

## वर्ग – 5

**25 फाल्गुन, 1939 (श.)**

**शुक्रवार, तिथि ----------**

**16 मार्च, 2018 ई.**

**प्रश्नों की कुल संख्या – 44**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | शिक्षा विभाग | .... | .... | 36 |
| 2. | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | .... | .... | 02 |
| 3. | खान एवं भूतत्व विभाग | .... | .... | 01 |
| 2. | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | .... | .... | 05 |
| | | | | ---------- |
| | | | **कुल योग –** | **44** |

## सातवें वेतन का लाभ

***** 256. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में 72 अल्पसंख्यक उच्च एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिन्हें सरकार राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के समान वेतन, भत्ता, सेवोत्तर लाभ का भुगतान करती है;

(ख) क्या यह सही है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ अभी तक नहीं प्रदान किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों/कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ कब तक प्रदान करना चाहती है ?

---

## मध्याह्न भोजन योजना

***** 257. **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना में भारी लूट-खसोट मची हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालयों में खराब एवं सड़े हुए चावलों की आपूर्ति की जा रही है जिसे खाकर बच्चे बीमार हो रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैशाली जिलान्तर्गत विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना में मची भारी लूट-खसोट करने एवं इसमें संलिप्त पदाधिकारियों के खिलाफ जांच कराते हुए बच्चों को उच्च स्तर का भोजन उपलब्ध कराएगी ?

---

## शिक्षकों का समायोजन

***** 258. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि आर.टी.ई. ऐक्ट 2009 के मुताबिक प्रत्येक 30 स्कूली बच्चों पर एक शिक्षक होना आवश्यक है, लेकिन इस हिसाब से सूबे में विभागीय उदासीनता के कारण प्रारंभिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है;

(ख) क्या यह सही है कि आर.टी.ई. ऐक्ट के अनुसार मौजूदा समय में राज्य के विद्यालयों में पठन-पाठन के लिए लगभग 30,000 (तीस हजार) शिक्षकों की जरूरत है जिसकी कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित है, साथ ही कुछ विद्यालयों में सरप्लस शिक्षक भी हैं, लेकिन विभागीय अकर्मण्यता से समायोजन प्रक्रिया बाधित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थिति में शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने एवं शिक्षकों का समायोजन करने का विचार रखती है ताकि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके ?

---

**व्याख्याता की नियुक्ति**

***** 259. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार ने राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में व्याख्याता नियुक्ति परीक्षा को एस.सी./एस.टी. कैटेगरी के अभ्यर्थियों को एम.एड. में 5 प्रतिशत की छूट देने के लिए विज्ञापन सं.-02/16 से 04/16 तथा 06/16 से 08/16 के तहत विज्ञप्ति एवं 26.5.17, 27.5.17 तथा 29.5.17 को प्रस्तावित बी.पी.एस.सी. की परीक्षाएं स्थगित कर दी थीं;

(ख) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त परीक्षाएं नहीं ली गई हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्याख्याता के उक्त 1060 पदों की परीक्षाएं आयोजित कर नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

---

**पूर्ण पेंशन कबतक**

***** 260. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वित्त विभाग बिहार सरकार के संकल्प सं.-वि.(27) पे.को. (मु.) 04/ 2015-50 वि., दिनांक-15 जनवरी, 2016 के द्वारा दिनांक-1.4.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को बीस वर्ष की सेवा के बाद पूर्ण पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के विश्वविद्यालय कर्मियों को भी राज्य सरकार के कर्मियों की भांति ही पेंशन एवं अन्य सुविधाएं देय हैं;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में यह प्रावधान अब तक नहीं लागू किया गया है जबकि सी.डब्ल्यू.जे.सी. 1460/16 में माननीय पटना उच्च न्यायालय का स्पष्ट न्याय निर्णय है कि 1.4.2007 के बाद सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय कर्मियों को 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पूर्ण पेंशन दिया जाए;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार 1.4.2007 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त कर्मियों को 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पूर्ण पेंशन देने का प्रावधान कब तक लागू करना चाहती है ?

---

**अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति**

***** 261. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में विलम्ब होने से छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन पूर्णरूपेण बाधित है और दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों की भी नियुक्ति प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्परतापूर्वक छात्रहित में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश देना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

---

**नया विश्वविद्यालय**

***** 262. **डा. दिलीप कुमार जायसवाल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सार्थक प्रयास से सरकार ने तीन नये विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय के कार्यकलाप को शुरू करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पदाधिकारी एवं कर्मचारी की आवश्यकता है;

(ग) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विश्वविद्यालय का कार्यकलाप इसी एकेडेमिक वर्ष से शुरू करने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक क्या प्रयास किया गया है एवं तीनों नये विश्वविद्यालयों को शुरू करने का रोड मैप क्या है, कब तक नया विश्वविद्यालय अपना कार्य शुरू करेगा ?

---

**फाइनल परीक्षा कबतक**

***** 263. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के 66 कॉलेज के करीब 5 हजार छात्रों ने वर्ष 2014 में डिप्लोमा इन इलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन तो ले लिया लेकिन उनकी फाइनल परीक्षा नहीं हो पाई है;

(ख) क्या यह सही है कि नियमानुसार क्लास खत्म (31 मई 2016) होने के 3 महीने बाद परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन 30 महीने बाद भी परीक्षा नहीं होने से उम्र के साथ छात्रों का शिक्षक बनने का सपना भी खत्म हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि परीक्षा लेने के लिए छात्र कई बार शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड अध्यक्ष से मिल चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 5 हजार छात्रों का समय बर्बाद करने वाले दोषियों पर कार्रवाई के साथ-साथ डिप्लोमा इन इलिमेंट्री एजुकेशन की फाइनल परीक्षा जल्द से जल्द करवाना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

---

**लंबित मानदेय का भुगतान**

***** 264. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि अखिलेश कुमार गौड़ बाल कुसुम मध्य विद्यालय बक्सर, जिला बक्सर में शारीरिक शिक्षक के रूप में पदस्थापित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि श्री अखिलेश कुमार गौड़ का शारीरिक शिक्षक के पद पर दिनांक-19.8.2010 को पदस्थापन हुआ था;

(ग) क्या यह सही है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक माह अनुपस्थिति विवरणी प्रखंड कार्यालय बक्सर को प्रेषित की जा रही है, इसके बावजूद आज तक इनका लंबित मानदेय वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि इनका शैक्षणिक-प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र भी जांच विभाग द्वारा करा लिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेशानुसार सभी नियोजित शिक्षकों के मानदेय का भुगतान शपथ-पत्र के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण इनका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए श्री अखिलेश कुमार गौड़, बाल कुसुम म.वि. बक्सर, प्रखंड जिला बक्सर के लंबित मानदेय वेतन का भुगतान कब तक करना चाहती है?

---

**+2 की मान्यता**

***** 265. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिला के परबलपुर प्रखंड स्थित महंथ द्वारिकानंद विद्यालय, बड़ीमठ वर्षों पूर्व से सुचारु रूप से संचालित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के पास पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध होने के बावजूद आजतक +2 विद्यालय की मान्यता नहीं मिल पाई है जबकि सरकार ने माध्यमिक विद्यालय को +2 करने का प्रावधान किया है, लेकिन उक्त विद्यालय उच्च विद्यालय होने के बावजूद +2 से वंचित है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय की चहारदीवारी पूरी तरह से ध्वस्त है तथा शौचालय एवं पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह नहीं है जिसके कारण स्थानीय गरीब छात्र-छात्राओं के शिक्षण कार्य में कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को +2 की मान्यता देते हुए चहारदीवारी, शौचालय एवं जल की सुविधा मुहैया कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

---

## निर्माण कार्य

*266. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर नगर पंचायत के वार्ड नं.-2, पंडितपुर में निर्माणाधीन स्नातक कॉलेज का उद्घाटन दिनांक-26.8.2015 को माननीय मंत्री के द्वारा किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित कॉलेज के निर्माण कार्य में काफी शिथिलता बरती गई जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अंदर नहीं किया गया है एवं वर्तमान में काफी कार्य शेष बचा हुआ है जिससे लोगों में रोष व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कॉलेज का निर्माण कार्य शीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

---

## दोषी पर कार्रवाई

* 267. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत 24 प्रखंडों में अवैध रूप से खान एवं भूतत्व विभाग की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से ईंट-भट्ठे हजारों की संख्या में चल रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि ईंट-भट्ठा पर्षद की बिना सहमति के नहीं चलाया जा सकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूर्वी चम्पारण जिले में अवैध ढंग से हजारों की संख्या में चल रहे ईंट-भट्ठों से संबंधित विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी राजस्व की हानि पहुंचाने वालों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

**उत्तर :** (क) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि खान निरीक्षक, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के पत्रांक-289, दिनांक-28.2.18 द्वारा सूचित किया गया है कि ईंट निर्माण सत्र अक्टूबर माह से प्रारंभ होता है। सत्र प्रारंभ होने पर जिले में स्थल भ्रमण करने पर ईंट-भट्ठों के क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर उन्हें मांग पंजी में प्रवृष्टि कर ईंट निर्माताओं को मांग पत्र निर्गत किया जाता है। पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ईंट सत्र 2016-17 में कुल 226 चिमनी भट्ठे संचालित पाए गए थे। सभी ईंट भट्ठेदारों, जो सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर आवश्यक कागजात प्रस्तुत कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त नहीं करते हैं तथा स्वामित्व का भुगतान नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज की जाती है। वर्तमान में कुल 72 चिमनीधारियों पर संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। तदुपरांत नीलाम पत्र मुकदमा दर्ज कर वसूली की कार्रवाई की जाती है।

(ख) अस्वीकारात्मक है। पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ईंट सत्र 2016-17 में कुल 226 चिमनी भट्ठे संचालित पाये गये थे, जिनमें कुल-110 चिमनी भट्ठेदारों द्वारा बिना भुगतान एवं 38 चिमनी भट्ठा द्वारा आंशिक भुगतान या गया है। जिन व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व भुगतान किये बिना एवं पर्षद के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर भट्ठा संचालन किया जाता है, उनके विरुद्ध संबंधित थानों में अबतक कुल 72 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

(ग) उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

---

## विद्यालय में नामांकन

***** 268. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत छः साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल करने का विचार है;

(ख) क्या यह सही है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मिलाकर एक करने का निर्णय विचाराधीन है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के सौ फीसदी नामांकन सुनिश्चित करने के मकसद से उक्त निर्णय काफी महत्पवूर्ण है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठा रही है, नहीं तो क्या कठिनाइयां हैं ?

---

## कार्रवाई का विचार

***** 269. **श्री वीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जानकी संस्कृत उप शास्त्री महाविद्यालय, नरकटियागंज में संचालित है, जहां एक भी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी अनुमोदित नहीं हैं;

(ख) क्या यह सही है कि कुल सचिव, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के पत्रांक-1604/16, दिनांक-14.9.16 के आलोक में श्री सुरेश तिवारी, प्राचार्य, जानकी संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय, नरकटियागंज द्वारा शासी निकाय की बैठक हेतु विश्वविद्यालय प्रतिनिधि डा. विभास चन्द्र की अध्यक्षता में श्री भोट चतुर्वेदी का नाम सर्वसम्मति से शिक्षाविद के रूप में संधारित किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की अध्यक्षता में शास्त्री निकाय के पुनर्गठन हेतु दिनांक-26.5.17 को बैठक सम्पन्न हुई जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष श्रीनाथ तिवारी, दाता सदस्य तथा सचिव श्री भोट चतुर्वेदी, शिक्षाविद को निर्वाचित किया गया है, जिसकी सूचना से पत्रांक-38/17 दिनांक-2.6.17 के द्वारा विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि श्री सुरेश तिवारी ने प्रधानाचार्य के रूप में महाविद्यालय के विकास के लिये उल्लेखनीय कार्य किये हैं जिसकी प्रशंसा गणमान्य लोगों ने की है, फिर भी विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं.-1635, दिनांक-16.10.17 द्वारा प्राचार्य पद से मुक्त कर दिया गया है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार छात्रहित में पत्रांक-1631, दिनांक-11.10.2017 को रद्द करते हुए पूर्व की भांति श्री सुरेश तिवारी को प्राचार्य के पद पर बने रहने देकर शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने एवं कार्यों में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

---

## योजना का लक्ष्य

*****270. **श्री दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला में चालू वित्तीय वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए 7 लाख 7 हजार 628 छात्रों को पोशाक योजना की राशि दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना के लिए 28 करोड़ 30 लाख 51 हजार रुपये का डिमांड जिले से विभाग को भेजा गया है;

(ग) क्या यह सही है कि विभाग के मुताबिक 26 दिसंबर से 15 जनवरी तक हर छात्र की पोशाक छात्रवृत्ति और साइकिल की राशि का डीबीटी किया जाना था, परन्तु जिले में अब तक राशि नहीं आ सकी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि मधुबनी जिला में उक्त योजना के लक्ष्य की क्या स्थिति है ?

---

**प्रोन्नति की सम्यक जांच**

*271. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना विश्वविद्यालय में नवंबर/दिसंबर, 2017 में जो तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गई है, उसमें वरीयता का ख्याल नहीं रखा गया है जो महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति, बिहार के ज्ञापांक-बी.एस.यू.-41/2013-427/रा.स. (1), दिनांक-4.3.2014 में दिए गए निर्देशों का सरासर उल्लंघन है;

(ख) क्या यह सही है कि कुछ कर्मियों द्वारा इस पर आपत्ति किए जाने पर पटना विश्वविद्यालय ने अपने पत्रांक-ए.सी.स्था. 819, दिनांक-15.7.2014 के द्वारा उन्हें सूचित किया कि वरीयता सूची के निर्धारण के बाद ही प्रोन्नति दी जाएगी जबकि बिना वरीयता सूची बनाए ही प्रोन्नति का आदेश निर्गत कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि कुलाधिपति द्वारा अपने उपरोक्त ज्ञापांक के माध्यम से यह भी निर्देश दिया गया था कि विश्वविद्यालय तथा स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षकेतर कर्मचारियों की एक इकाई तथा महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों की दूसरी इकाई होगी जिसके आधार पर वरीयता निर्धारित होगी, किन्तु पटना विश्वविद्यालय द्वारा महामहिम कुलाधिपति महोदय के इस निर्देश का भी उल्लंघन किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त मामले की सम्यक जांच कराकर प्रभावित कर्मियों को न्याय दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

---

## नियमित प्रधानाध्यापक

*272. **श्री देवेश चन्द्र ठाकुर** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिला के मध्य विद्यालयों में नियमित प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति वर्षों से लंबित है, जबकि राज्य के सभी जिलों के मध्य विद्यालय में नियमित प्रधानाध्यापक को प्रोन्नति दी जा चुकी है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला के वर्तमान 937 मध्य विद्यालयों में से किसी भी विद्यालय में नियमित प्रधानाध्यापक कार्यरत नहीं हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैशाली जिला के मध्य विद्यालयों में प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी करते हुए नियमित प्रधानाध्यापक की पदस्थापना करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

---

## आर्ट गैलरी सह ऑडिटोरियम

*273. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कई जिलों में आर्ट गैलरी सह ऑडिटोरियम खोले जाने हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बेगूसराय रंगमंचीय, सांस्कृतिक एवं कला गतिवधियों का केन्द्र रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेगूसराय में आर्ट गैलरी सह ऑडिटोरियम खोले जाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

## भवन का निर्माण

* 274. **श्री सुनील कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत +2 उच्च विद्यालय गंडौल, महिषी अंचल का एक मात्र सबसे पुराना उच्च विद्यालय है;

(ख) क्या यह सही है कि +2 उच्च विद्यालय गंडौल का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(ग) क्या यह सही है कि विभागीय लापरवाही के कारण उक्त विद्यालय, गंडौल को नया भवन उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार +2 उच्च विद्यालय, गंडौल का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

---

**नियोजन कबतक**

***** 275. **श्री राजेश राम** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अन्तर्गत उत्थान केन्द्रों के तहत कार्यरत टोला सेवकों/शिक्षा सेवियों के के.आर.पी. का नियोजन विगत वर्षों में किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि अनांकित बच्चों को तालीमी मरकज केन्द्रों के स्वयं सेवकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती रही है;

(ग) क्या यह सही है कि निदेशक, जनशिक्षा, बिहार, पटना के विभागीय पत्रांक-1747, दिनांक-8.8.2016 एवं पत्रांक-935, दिनांक-26.4.2017 के द्वारा महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अन्तर्गत विभाग से चयन प्रक्रिया को नयी नियमावली आने तक टोलासेवक एवं तालीमी मरकज के शिक्षा स्वयं सेवकों के चयन पर रोक लगा दी गई है;

(घ) क्या यह सही है कि डॉ. विनोदानंद झा, निदेशक, जन शिक्षा की लापरवाही से चयन प्रक्रिया की नयी नियमावली नहीं बनने के कारण उक्त योजना फ्लाप सिद्ध हो रही है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डॉ. विनोदानंद झा, निदेशक, जनशिक्षा को स्थानांतरित करते हुए नियमावली बनाकर महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अन्तर्गत उत्थान केन्द्रों तथा तालीमी मरकज केन्द्रों के लिए टोला सेवकों/शिक्षा स्वयं सेवियों/के.आर.पी. का नियोजन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

---

## स्थिति में सुधार

* 276. **श्री संजय प्रकाश** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार के कई +2 स्तरीय राजकीय इंटर कॉलेज में प्रायोगिक पढ़ाई सुविधा के अभाव में चल रही है, कहीं उपकरण नदारद हैं तो कहीं लैब ही नहीं है यथा पटना सिटी राजकीय उच्चतर विद्यालय, बी.एन. कॉलेजिएट, पटना कॉलेजिएट, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, पी.एन. एग्लो स्कूल;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इन लैबों की स्थिति में सुधार एवं प्रायोगिक पाठन का कार्य कब तक प्रारंभ कर सकेगी ?

---

## परिसर की भराई

* 277. **डा. मदन मोहन झा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत लहेरियासराय में रमानंद इन्टर सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल के परिसर में चार फीट गड्ढा है जिससे छात्राओं को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यथाशीघ्र इस परिसर को भरवाने हेतु कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

---

## पठन-पाठन पर विचार

* 278. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नी सैदपुर प्रखंड के तिलक खाजपुर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नयावास में जमीन है तथा उसमें भवन निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है, उसके बावजूद उस विद्यालय के बगल के विद्यालय में समायोजन (टैग) कर दिया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त विद्यालय के अपने ही भवन में पठन-पाठन कराने हेतु विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

**भवन का शीघ्र निर्माण**

***** 279. **श्री चन्देश्वर प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के मसौढ़ी प्रखंडान्तर्गत ग्राम पंचायत चपौर में बालिका उच्च विद्यालय में भवन के अभाव में छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड 'क' पर अंकित स्थान पर बालिका उच्च विद्यालय का भवन शीघ्र निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

---

**पद सृजन**

***** 280. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने पांच वर्ष पूर्व अधिकांश विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर शिक्षकों की व्यवस्था की थी;

(ख) क्या यह सही है कि आज जब सरकारी एवं गैर सरकारी प्राय: सभी कार्य कम्प्यूटरीकृत हो रहे हैं और दूसरी ओर विद्यालयों से कम्प्यूटर शिक्षकों को हटा दिया गया है और वे बेरोजगार होकर सड़कों पर रोजी-रोटी के लिय संघर्ष कर रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सभी विद्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करते हुए कम्प्यूटर शिक्षकों का स्थायी पद सृजित करना चाहती है ?

---

## कलाकारों को अवसर

***** 281. **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में भिन्न-भिन्न अवसरों पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि प्रदेश के जिन स्थानों पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं उसमें वहां के स्थानीय कलाकारों को भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है जिससे उनको अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका नहीं मिल पाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रदेश के जिन स्थानों पर सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी उसमें वहां के स्थानीय कलाकारों को अवसर देगी, यदि हां तो कब से और कैसे ?

---

## राशि का आवंटन

***** 282. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य का एकलव्य खेल की महत्वाकांक्षी योजना अधर से लटक गयी है, जिससे खेल प्रेमी युवाओं/खिलाड़ियों में भारी निराशा है;

(ख) क्या यह सही है कि पिछले साल राज्य के तत्कालीन खेल मंत्री द्वारा इस खेल को महत्वाकांक्षी योजना के तहत शुरुआत की गई थी और राज्य में चल रहे एकलव्य सेन्टरों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों की प्रतिभाओं का आकलन करना था एवं इसके लिए सत्र 2016-17 में विभाग की ओर से 59 लाख राशि पटना प्रमंडल शारीरिक शिक्षा, उप निदेशक के नाम से आवंटित कर दी गई थी, लेकिन आवंटित राशि की अब तक निकासी नहीं होने से खिलाड़ियों में निराशा व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार एकलव्य खेल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल में शामिल होने के लिए लंबित आवंटित राशि की निकासी से चालू वित्तीय वर्ष में आकर्षक राशि इस मद में आवंटित करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

---

## फीस माफी योजना

***** 283. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की पीजी तक छात्राओं की फीस माफी की योजना ने राज्य के वित्त अनुदानित बालिका विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, वित्त अनुदानित बालिका इंटर एवं डिग्री महाविद्यालयों की आर्थिक स्थिति को दयनीय कर दिया है;

(ख) क्या यह सही है कि इस घोषणा के समय राज्य सरकार ने भरपाई का पैसा देने को कहा था, जो आज तक इन विद्यालयों को नहीं मिला है, जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक माफ की गई फीस का ब्यौरा सरकार और विश्वविद्यालयों को भेजा जा चुका है और वर्तमान वित्तीय वर्ष का भी आंशिक ब्यौरा भेजा गया है, लेकिन अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को शीघ्र छात्राओं की फीस माफी की योजना का पूरा पैसा देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

---

## व्याख्याताओं की नियुक्ति

***** 284. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि विगत कई वर्षों से लंबित उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु वर्ष 2014 में ही नवसृजित व्याख्याताओं के 1060 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई लंबित है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्षों से लंबित, व्याख्याताओं के 1060 पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

---

## रंगशाला का निर्माण

***** 285. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार के स्तर से भागलपुर जिला मुख्यालय के शहरवासियों एवं आगत अतिथियों हेतु खुली रंगशाला (Open Theater) का प्रस्ताव नहीं है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शहर की हृदयस्थली 'सैंडिस कम्पाउन्ड' में इस प्रकार की रंगशाला की अवधारणा को साकार करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

**उत्तर :** (क) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कला एवं संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में 819.00/- लाख (आठ सौ उन्नीस लाख) की लागत से प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी निर्माण की योजना है, जिसमें प्रदर्श कला के कार्यक्रम हेतु 600 (छः सौ) क्षमता का ऑडिटोरियम तथा चाक्षुष कला के लिए आर्ट गैलरी निर्माण का प्रावधान है। खुली रंगशाला का प्रस्ताव नहीं है। उक्त योजना के तहत भूमि की उपलब्धतानुसार दरभंगा, सहरसा, मुंगेर एवं पुर्णिया जिला मुख्यालय में निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

भागलपुर प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में भूमि चिन्हित की जा रही है। इसके लिए जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-769, दिनांक-16.3.2017 द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त को भूमि का हस्तांतरण स्वास्थ्य विभाग से कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को कराने की अनुशंसा की गयी है। इस संबंध में विभाग से भी विभागीय पत्रांक-192, दिनांक-3.5.2017 एवं स्मार पत्रांक-318, दिनांक-30.6.2017 द्वारा आयुक्त भागलपुर प्रमंडल से अनुरोध किया गया है। आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल के ज्ञाप संख्या-348, दिनांक-29.6.2017, ज्ञाप संख्या-440, दिनांक-8.8.2017 एवं ज्ञाप संख्या-630, दिनांक-20.9.2017 द्वारा प्रस्तावित भूमि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को हस्तांतरित करने हेतु सहमति शीघ्र संसूचित करने का अनुरोध स्वास्थ्य विभाग से किया गया है। भागलपुर में इसके निर्माण के निमित्त भूमि के हस्तांतरण हेतु विभागीय पत्रांक-35, दिनांक-25.1.2018 द्वारा स्वास्थ्य विभाग को विभागीय स्तर से स्मारित किया गया है। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होते ही निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी।

(ख) उपरोक्त खंड 'क' में वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

---

## शैक्षणिक वातावरण में सुधार

***** 286. **डा. दिलीप कुमार जायसवाल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में शामिल 130 अभ्यर्थियों के आवेदन की हार्ड कॉपी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से गायब है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अकर्मण्यता एवं गैर जिम्मेवारी के कारण इस प्रतिष्ठित संस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है एवं 2018-19 सत्र के भी विलंब से शुरू होने की संभावना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में सुधार लाना चाहती है एवं सत्र नियमित रहे इस हेतु कार्रवाई करना चाहती है ?

---

**तारामंडल में नई मशीन**

***** 287. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना तारामंडल की शुरुआत मार्च, 1993 में 2.5 करोड़ रुपये की लागत से हुई थी;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग के अनुसार उक्त मशीन की लाइफ 15 वर्ष थी, लेकिन 25 वर्ष बाद भी उसी पुरानी मशीन से शो दिखाया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 में 65 प्रोजेक्टरों द्वारा प्रदर्शन (शो) होता था, लेकिन आज बमुशिकल तीन प्रोजेक्टर ही चल रहे हैं;

(घ) क्या यह सही है कि समय से साथ शो में खगोलीय घटनाओं को अपडेट नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना तारामंडल में खगोलीय घटनाओं को अपडेट करते हुए नई मशीन लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

---

**क्रेडिट कार्ड योजना**

***** 288. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि रीतेश कुमार, पिता श्री राम लडू सिंह, ग्राम-डिलिया, पंचायत डिलिया, प्रखंड अगिआंव, जिला भोजपुर के निवासी हैं;

(ख) क्या यह सही है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए इनका आवेदन जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र द्वारा सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पंजाब नेशनल बैंक वरूणा (नारायणपुर), प्रखंड अगिआंव, थाना नारायणपुर में भेज दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि नियमानुसार बैंकों को 15 दिनों के अंदर इसका निष्पादन करना होता है, लेकिन बैंक शाखा प्रबंधक की लापरवाही के कारण इनके आवेदन का निष्पादन नहीं किया गया है, इससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, इनका बैंक में आवेदन कब गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक बैंकों से स्टूडेंट क्रेडिट लोन दिलाना चाहती है और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है ?

---

**अनुपात में समानता**

***** 289. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में 1990 से 2005 तक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय कार्यरत थे तथा शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात में थी;

(ख) क्या यह सही है कि 2005 के बाद सरकार ने प्राथमिक मध्य विद्यालय की स्थापना एवं शिक्षकों की नियुक्ति की है तथा शिक्षक-छात्र अनुपात में कमी आयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बताएगी कि 1990 से 2005 तक एवं 2006 ये 2017 तक तुलनात्मक प्राथमिक मध्य विद्यालय की संख्या तथा शिक्षकों की संख्या एवं शिक्षक-छात्र अनुपात कितना है ?

---

**जमीन का सीमांकन**

***** 290. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत प्रखंड परबत्ता के तारणी प्रसाद प्राथमिक विद्यालय कुल्हडिया (दक्षिण टोला) की जमीन का रकबा 3 कट्ठा 13 धुर है, जिसका खाता सं.-227, 294, खेसरा सं.-1137, 1207 है;

(ख) क्या यह सही है कि तारणी प्रसाद प्राथमिक विद्यालय कुल्हडिया की जमीन के सीमांकन के लिए अंचलाधिकारी के यहां आवेदन संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा 2010 से ही दिया जाता रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि आज तक विद्यालय की जमीन का सीमांकन कराने हेतु अंचलाधिकारी के द्वारा आदेश निर्गत नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तारणी प्रसाद प्राथमिक विद्यालय, कुल्हडिया (खगड़िया) की जमीन का सीमांकन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

**ठोस कार्रवाई**

***** 291. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार सूबे में निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान नामांकन समेत विभिन्न मदों में हर साल मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि संस्थान द्वारा बस किराए का निर्धारण मनमाने ढंग से किया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि किताब-कॉपियां, स्कूल बैग, ड्रेस आदि संस्थान तय एजेंसी से लेने के लिए मजबूर करता है और वह भी अनाप-शनाप दर पर;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्राइवेट स्कूलों, कोचिंग संस्थानों की नकेल कसने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

**बौद्ध सर्किट**

***** 292. **श्री वीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि सीवान जिले के प्रखंड जीरादेई के राजस्व ग्राम तितिरा के टोला बंगरा में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तितिरा बौद्ध स्तूप की प्रारंभिक खुदाई के दौरान अनेकों ऐतिहासिक एवं प्राचीन महत्व के साक्ष्य एवं अवशेष प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि 22 जनवरी, 2018 से भारतीय पुरातत्व विभाग, पटना अंचल के सहायक पुरातत्ववेत्ता श्री शंकर शर्मा के नेतृत्व में उत्खन्न कार्य कराया जा रहा है, जहां ऐतिहासिक एवं प्राचीन महत्व की विभिन्न संस्कृतियों के पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीवान जिला के जीरादेई प्रखंड के ग्राम तितिरा टोला बंगरा में स्थित बौद्ध स्तूप क्षेत्र को संरक्षित करते हुए बौद्ध सर्किट से जोड़कर पर्यटकों को पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

---

**भवन की मरम्मती**

***** 293. **श्री दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत दरभंगा शहर का नरगौना पैलेस, जिसमें कई पी.जी. विभाग संचालित होते हैं, का भवन, खासकर उसकी छत जर्जर हो गई है और जगह-जगह पानी टपक रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि यह भवन पूर्व में छात्र विलास पैलेस था जो 1934 के भूकंप के बाद नरगौना पैलेस के रूप में तब्दील किया गया और यह बिहार के सर्वोत्कृष्ट हैरिटेज भवनों में एक है;

(ग) क्या यह सही है कि भवन की जर्जरता एवं रख-रखाव में उदासीनता की ओर विश्वविद्यालय प्रशासन का कई बार ध्यान आकृष्ट किया गया लेकिन कुछ पदाधिकारियों की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण इसमें लगातार विलंब हो रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नरगौना पैलेस जैसे महत्वपूर्ण हैरिटेज भवन की मरम्मती के लिए आवश्यक कार्रवाई तुरंत आरंभ करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

---

## छात्रों को न्याय

***** 294. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नेताजी सुभाष इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिहटा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध है;

(ख) क्या यह सही है कि नेताजी सुभाष इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रशासन द्वारा अपने छात्रों से अनुपस्थिति एवं अन्य प्रकार के दंड के नाम पर अवैध रूप से पैसे की वसूली की जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि जिन छात्रों ने इस अवैध वसूली का विरोध किया तथा पैसा नहीं जमा किया, उनकी फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया गया है और वे परीक्षा से वंचित किए जा रहे हैं;

(घ) क्या यह सही है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध अन्य 24 इंजीनियरिंग कॉलेजों में परीक्षा शांतिपूर्वक हो रही है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस मामले की सम्यक जांच कराकर प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

---

## चिकित्सावकाश की स्वीकृति

***** 295. **श्री देवेश चन्द्र ठाकुर** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि श्री दिनेश कुमार, दिनचर्या लिपिक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में नियमित कर्मचारियों की तरह तेईस वर्षों से कार्यरत थे;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक-4.5.2016 को कार्यालय जाने के क्रम में श्री कुमार की दुर्घटना हो गयी थी, जिसके फलस्वरूप वे एक माह तक अस्पताल के आई.सी.यू. में भर्ती रहे;

(ग) क्या यह सही है कि इनके परिवार द्वारा समिति कार्यालय में समय पर चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो आज तक लंबित है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त घटना की तरह समिति कार्यालय द्वारा अन्य कर्मियों को पत्रांक-579, दिनांक-26.8.2004 के द्वारा पूर्व में चिकित्सावकाश स्वीकृत किया गया था;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री दिनेश कुमार, दिनचर्या लिपिक का चिकित्सावकाश स्वीकृत करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

---

**प्रशिक्षण केन्द्र का विचार**

***** 296. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय की सांस्कृतिक व रंगमंचीय परंपरा बेहद ही समृद्ध सशक्त रही है और यहां अक्सर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय नाट्योत्सव के आयोजन निजी संस्थाओं द्वारा होते रहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बेगूसराय के कई रंगकर्मियों ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त कर एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय देकर पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है;

(ग) क्या यह सही है कि बेगूसराय समेत राज्य भर के नवोदित कलाकारों को उचित प्रशिक्षण के अभाव में नाट्य कला के क्षेत्र में अवसर नहीं मिल पाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नाट्य प्रशिक्षण के लिए एनएसडी की तर्ज पर राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र बेगूसराय में खोलने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---

**कम्प्यूटर शिक्षक**

***** 297. **श्री संजय प्रकाश** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि विद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत कम्प्यूटर शिक्षकों को हटा दिया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कम्प्यूटर शिक्षक के प्रति किस प्रकार का विचार रखती है और नये कम्प्यूटर शिक्षक को कबतक बहाल करेगी ?

---

**भवन निर्माण की राशि**

***** 298. **डा. मदन मोहन झा** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य के +2 हाई स्कूल् में भवन निर्माण हेतु 25 लाख से 50 लाख तक की राशि आवंटित हुई थी;

(ख) क्या यह सही है कि विभिन्न कारणों से भवन निर्माण की राशि लगभग 50 प्रतिशत स्कूलों से वापस कर दी गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उन 50 प्रतिशत विद्यालयों में भवन निर्माण हेतु राशि अविलम्ब मुहैया करायेगी, यदि हां तो कबतक ?

---

**विद्यालय भवन का निर्माण**

***** 299 **श्री चन्देश्वर प्रसाद** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के मसौढ़ी प्रखंड के ग्राम पंचायत चपौर के ग्राम रामाचक व गणेश टोला में प्राथमिक विद्यालय के भवन के अभाव में स्थानीय लोगों के बच्चे-बच्चियों को पठन-पाठन में काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड 'क' पर अंकित स्थान पर प्राथमिक विद्यालय का भवन शीघ्र निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

---

पटना
दिनांक 16 मार्च, 2018 ई.

**सुनील कुमार पंवार**
सचिव
बिहार विधान परिषद्